



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042026-271986
CG-DL-E-22042026-271986

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1926]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2026/वैशाख 2, 1948

No. 1926]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2026/VAISAKHA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

का.आ. 1997(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों के अनुपालन में ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"8	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 248ए [किमी 2.41 से किमी 24.536 (गुडगांव सोहना खंड) तक को छोड़कर], संख्या 152ए, संख्या 352आर और संख्या 919 के उतने भाग जो हरियाणा राज्य में भीतर अवस्थित हैं।	हरियाणा राज्य सरकार".

[फा. सं. एनएच- 14013/3/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार संख्या का.आ.-1392(अ), तारीख 17 मार्च, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2026

S.O. 1997(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 8 and the entries relating there to, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"8	So much of National Highways No. 248A [excluding from Km. 2.41 to Km 24.536 (Gurgaon Sohna Section)], No. 152A, No. 352R and No. 919 as are situated within the State of Haryana.	State Government of Haryana".

[F. No. NH-14013/3/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: -The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4thAugust, 2005 and was last amended vide number S.O. 1392 (E), dated the 17th March, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

का.आ. 1998(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित तालिका के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
(1)	(2)	(3)
रारा-709	पानीपत - रोहतक - भिवानी- हरियाणा/राजस्थान सीमा खंड।	संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा राज्य में

[फा. सं. एनएच- 14013/3/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2026

S.O. 1998(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
NH-709	Panipat - Rohtak - Bhiwani- Haryana/Rajasthan border section.	Entire NH falling in the State of Haryana

[F. No. NH-14013/3/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

का.आ. 1999(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1035(अ), दिनांकित 7 मई, 2010 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की तालिका में क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा:-

71ए	हरियाणा राज्य में रोहतक से पानीपत	किमी 0.000 से किमी 80.858
-----	-----------------------------------	---------------------------

[फा. सं. एनएच- 14013/3/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1035(अ), दिनांकित 7 मई, 1035 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2026

S.O. 1999(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1035(E), dated the 7th May, 2010, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

71A	From Rohtak-Panipat in the State of Haryana	From km. 0.000 to km. 80.858
-----	---	------------------------------

[F. No. NH-14013/3/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 1035(E), dated the 7th May, 2010.